0 कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय बरघाट, जिला सिवनी (म.प्र.) 0

(NAAC Accredited C Grade)

E-mail : principalgcbaghat@gmail.com ☎ 07692-250274, Fax No. 07692-250474

कमांक–371 / स्था / जभास / 2021 **बरघाट, दिनांक 08 / 01 / 2021**

विज्ञापन

शासकीय महाविद्यालय बरघाट, जिला–सिवनी में जनभागीदारी के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में सत्र 2020–21 के लिये निम्नानुसार अतिथि विद्वान, जनभागीदारी समिति के सचिव के ओर आमंत्रित किये जाते है।

क्र.	विषय / पाठ्यक्रम का नाम	पद	योग्यता	मानदेय
1.	जन्तुविज्ञान, अतिथि विद्वान (जभास)	1	संबधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एवं म.प्र. शासन, उ.शि.मंत्रालय पत्र क्र. 969 / एफ–1–9 / 2016 / 38–1 / दिनांक 08. 08.2016 में वर्णित चयन मापदंड के अनुरूप	जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित एवं समय–समय पर संशोधित दर एवं कार्य निष्पादन के आधार पर
2.	वाणिज्य, अतिथि विद्वान (जभास)	2		

टीपः–

1. सचिव / प्राचार्य को आमंत्रण पत्र जारी करने का अधिकार होगा। विज्ञापन का आशय कदापि यह नहीं होगा कि जितने पद विज्ञाप्ति किय गये हैं उतने ही आवेदको को आमंत्रण पत्र जारी किये जायें।
2. अतिथि विद्वानों का चयन पूर्णतः मेरिट के आधार पर होगा। पैनल बनाने का कार्य सामान्यतः यूजीयर द्वारा निर्धारित मापदंड को ध्यान में रखते हुये तथा म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा मंत्रालय पत्र क्रं. 969 / एफ–1–9 / 2016 / 38–1 / दिनांक 08.08.2016 में वर्णित चयन मापदंड के अनुरूप किया जावेगा। यह नियम उच्च शिक्षा विभाग को वेबसाइड पर भी उपलब्ध है।
3. आवेदन पत्र प्राचार्य / सचिव जनभागीदारी समिति शासकीय महाविद्यालय बरघाट को प्रेषित किया जावेगा।
4. लिफाफे पर प्राचाय / जनभागीदारी द्वारा संचालित विषय का नाम, पद का नाम, एवं क्रमांक स्पष्ट लिखें (लिफाफें) पर जानकारी स्पष्ट न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा।
5. विज्ञापन का कदापि यह अर्थ नहीं है कि आवेदक को आमंत्रण देना आवश्यक है।
6. आवेदन पत्र सादे कागज पर आवश्यक विवरण दर्शाते हुए स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट फोटो, फोन नंबर / मोबाईल नंबर सहित समस्त प्रमाण–पत्रों की सत्यप्रतिलिपि के साथ विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित होने की तिथि से 10 दिवसों के अंदर प्राचार्य कार्यालयीन समय में प्राप्त हो जाना चाहिए।
7. आवेदन पत्र डाक / कोरियर द्वारा प्राप्त किया जायेगें या स्वयं भी जमा कर सकते है। डाक की देरी के लिये कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, देरी से प्राप्त ई–मेल से प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगे।
8. सभी पद पूर्णतः अस्थायी एवं मध्यप्रदेश शासकीय सेवा का भाग न होकर मानदेय के आधार पर है। कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के हटाने का अधिकार प्राचार्य का होगा।
9. महाविद्यालय प्राचार्य / सचिव को जनभागीदारी समिति की चयन प्रक्रिया निरस्त करने अथवा आंशिक संशोधन करने का वैधानिक अधिकार होगा।
10. विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित एवं महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा।

PRINCIPAL
GOVT. COLLEGE
BARGHAT (SEONI) M.P.

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय बरघाट